चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 17.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 17.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में श्रवण मास के दौरान शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों की विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना भरतकूप पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की घटना का अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 15.08.2024 को श्री दीपक शर्मा पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी रतनगढ़ मुरैना म0प्र0 द्वारा थाना भरतकूप मे सूचना दी कि उनकी मोटरसाइकिल रजि0 नं0 आरजे-50 एसबी-9054 किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर ली है। इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 120/2024 धारा 303(2)बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। थानाध्यक्ष भरतकूप द्वारा घटना के अनावरण हेतु उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय को निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये दिनाँक 16.08.2024 को अभियुक्त सत्यम सविता पुत्र भोला सविता निवासी बीदर का पुरवा मजरा भरतकूप जनपद चित्रकूट को बिना नम्बर की चोरी मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। मोटरसाकिल का चेचिस नम्बर परिवहन एप्प पर चैक किया गया तो मोटरसाइकिल का रजि0नं0 आरजे-50 एसबी-9054 ज्ञात हुया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गया।

बरामदगीः-

चोरी की मोटरसाइकिल रजि0 नं0 आरजे-50 एसबी-9054

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री राहुला पाण्डेय थाना भरतकूप

2.मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र सिंह

3.आरक्षी नरेन्द्र सिंह

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 59 क्वार्टर देशी व 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(i).उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या चौकी सीतापुर तथा उनके हमराही आरक्षी रविंद्र कुमार, आरक्षी नागेश कुमार द्वारा अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ राकेश निषाद पुत्र खुद्दा निषाद निवासी चकमाली अमानपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 28 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii).उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या चौकी सीतापुर तथा उनके हमराही आरक्षी रविंद्र कुमार, आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त विनोद गोस्वामी पुत्र जुगल किशोर गोस्वामी निवासी बिसंडा थाना बिसंडा जनपद बांदा को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii).उ0नि0 श्री अंकित सिंह थाना राजापुर तथा उनके हमराही आरक्षी प्रकाश मिश्रा, आरक्षी बुद्धसेन विक्रम, आरक्षी उज्जवल पांडे द्वारा अभियुक्त मिर्चइयां पुत्र स्व0 खिलाड़ी निवासी बरुआ थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 31 क्वार्टर देशी क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत किया गया।

(6). आज दिनाँक 17.08.2024 को जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील मानिकपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की शिकायतों को सुनकर निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व विभाग को संयुक्त रुप से मौके पर जाकर निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।

इस दौरान उपजिलाधिकारी मानिकपुर श्री पंकज वर्मा, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जय करन सिंह, प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह, प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री शिव आसरे, थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह, पीआरओ श्री प्रवीण सिह एवं राजस्व व पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम चित्रकूट पुलिस ने 02 वांछित अभियुक्तो को गिरफ्तार कियाः
(i).प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय तथा उनके हमराही आरक्षी रोहित कुशवाहा, आरक्षी राहुल पाण्डेय, आरक्षी चालक राजकुमार द्वारा मु0अ0सं0 09/2024 धारा 306 भादवि0 थाना बरगढ़ के वांछित अभियुक्त अनीस कुमार मिश्रा पुत्र कौशल प्रसाद मिश्रा निवासी अरवारी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(ii). उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य चौकी सीतापुर तथा उनके हमराही आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह द्वारा मु0अ0सं0 510/2024 धारा 303(2),317(2) बीएनएस के वांछित अभियुक्त दीपू उर्फ दीपक पुत्र मुल्लू उर्फ मूलचन्द्र निवासी चितरागोकुलपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(8). आज दिनाँक 17.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद चित्रकूट के जनप्रतिनिधियों के साथ गोष्ठी की गयी। इस गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा मा0 जनप्रतिनिधियों से जनपद में नागरिकों को होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में पूछा गया तथा बेहतर कानून व्यवस्था हेतु सुझाव लिये गये। इस गोष्ठी में मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा थाना क्षेत्रों के छोटी-छोटी एक दो समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया जिनके समाधान हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा आश्वस्त किया गया।

इस गोष्ठी में माननीय विधायक मऊ-मानिकपुर श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री लवकुश चतुर्वेदी, बांदा –चित्रकूट सांसद प्रतिनिधि श्री अंकुर सिंह,अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक बांदा चित्रकूट श्री पंकज अग्रवाल, एमएलसी जितेन्द्र सिंह के प्रतिनिधि डा0 अश्वनी अवस्थी उपस्थित रहे।

(9). आज दिनाँक 17.08.2024 को जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 व पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के संबंध में संबंधित सेक्टर /स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकारियों के ट्रेनिंग ब्रिफिग की बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त 2024 को दो पालियों में आयोजित की जाएगी, प्रथम पाली 10:00 बजे से 12:00 तक एवं द्वितीय पाली 3:00 से 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 6 परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है जिसको संपन्न कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त सहायक केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती की गई है । उन्होंने कहा कि परीक्षा को सकुशल निष्पक्ष एवं सुचिता पूर्ण कराने के लिए, प्रश्न पुस्तिकाओं को परीक्षा के दिन कंट्रोल रूम से प्राप्त करने तथा परीक्षा केन्द्र पर पहुंचाने एवं लाने हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा परीक्षा को कुशल संपन्न हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त सहायक केंद्र व्यवस्थापक की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को जो दायित्व दिया गया है वे लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती -2030 पुस्तिका का अवलोकन कर ले। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा निर्देशित है कि इस परीक्षा में सम्मिलित अधिकारी कर्मचारी के लिखित देगे कि उनकी कोई सगे/ संबंधि परीक्षा में सम्मिलित नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्दो पर परीक्षार्थी की फोटो खींचते समय यह ध्यान देगे की परीक्षार्थी की ओएम आर व बुकलेट की फोटो नहीं आनी चाहिए । जिलाधिकारी ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया की परीक्षा केंद्र को तीन दिन पहले परीक्षा स्थल का अवलोकन करें कि किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है उन्होंने यह भी कहा की परीक्षा के दिन समय से पहुंचकर सतर्कता के साथ परीक्षार्थी की चेकिंग करें कोई भी परीक्षार्थी डिजिटल वॉच, मोबाइल व अन्य सामग्री लेकर प्रवेश नहीं करेगा । उन्होंने कहा की परीक्षार्थी के पास प्रवेश पत्र, पेन व आधार कार्ड ले जा सकते हैं इसके अलावा कुछ ले जाना वर्जित है । जिलाधिकारी ने कहा कि हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा युक्त रहेगा एवं एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा इसका संचालक जनपद मुख्यालय व लखनऊ मुख्यालय से वॉच किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक जनपद पर एक प्रतिनिधि जिला प्रबंधक उपस्थित रहेगा एवं कहां की टॉयलेट को भी चेक करें कि किसी प्रकार की डिवाइस व अन्य अनैतिक वस्तु न छुपाई गई हो। जिलाधिकारी ने सभी

केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया कि परीक्षार्थी बाहर से आएंगे उनके समानो व बैग को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा कमरा अवश्य चिन्हित करें।

परीक्षा को सकुशल संपन्न करने के लिए जिलाधिकारी ने समस्त ड्यूटी में लगाए गए अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया की परीक्षा को सूचितापूर्ण संपन्न करना हम लोगों का दायित्व है कहा कि इसमें निष्ठा पूर्वक तत्परता के साथ कार्य करें किसी प्रकार किसी शिकायत नहीं आनी चाहिए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी उप जिलाधिकारी राजपुर प्रमोद कुमार झा, कर्वी श्री सौरभ यादव, मानिकपुर श्री पंकज वर्मा, मऊ श्री राकेश कुमार पाठक, वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री रमेश सिंह, उप जिलाधिकारी मोहम्मद जसीम, जिला विद्यालय निरीक्षक एसके मिश्रा सहित पुलिस क्षेत्राधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट स्टेटिक मजिस्ट्रेट उपस्थित थे।